भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3022

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत 2.0 का कार्यान्वयन

3022. श्री बलभद्र माझीः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री अनूप संजय धोत्रेः

श्री दामोदर अग्रवालः

श्री रमेश अवस्थीः

श्री शशांक मणिः

डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री राधेश्याम राठियाः

श्री अरविंद धर्मापुरीः

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

श्री अनिल फिरोजियाः

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

श्री राहुल सिंह लोधीः

डॉ. संजय जायसवालः

श्री आलोक शर्माः

श्री अभिमन्यु सेठीः

श्री सतीश कुमार गौतमः

श्री महेश कश्यपः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री नव चरण माझीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके अंतर्गत ओडिशा के नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और शहर-वार स्वीकृत, पूर्ण और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय कौन-कौन से हैं;

(ख) अमृत 2.0 के अंतर्गत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और शहर-वार शहरी जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन अवसंरचना, वर्षा जल की निकासी, जल निकायों के संरक्षण और हरित शहरी क्षेत्रों के विकास में क्या प्रगति हुई है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अमृत **2.0** के अंतर्गत उक्त उद्देश्य के लिए उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और शहर-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तुलनात्मक रूप से धीमा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अमृत **2.0** के अंतर्गत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और शहर-वार शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में, सुधार करने में जिनमें निवासियों को प्राप्त लाभ शामिल हैं, क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(च) क्या सरकार का देश में उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और शहर-वार शहरी जलापूर्ति तथा सीवरेज अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त अमृत **2.0** परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव है;

(छ) उक्त परियोजनाओं से कितने शहरी परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है और नल से जल आपूर्ति कवरेज, सीवरेज कनेक्टिविटी तथा अपशिष्ट जल उपचार क्षमता में कितना सुधार लक्षित है; और

(ज) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने तथा तमिलनाडु में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग सहित संधारणीय शहरी जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) का शुभारंभ दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में इस उद्देश्य से किया गया था कि वे 'आत्मनिर्भर' एवं 'जल सुरक्षित' बन सकें। अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक 500 अमृत शहरों में सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज उपलब्ध कराना है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों एवं पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण तथा कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य जल कार्य-योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) के तहत 8,777 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,97,191.85 करोड़ रुपये (संचालन एवं रख-रखाव लागत सहित) है। इसमें 66,638.59 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश भी शामिल है। इन परियोजनाओं में 1,18,968.38 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत वाली 3,572 जलापूर्ति परियोजनाएं, 71,133.01 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत वाली 605 सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 6,003.34 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत वाली 2,951 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं तथा 1,087.12 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत वाली 1,649 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

दिनांक 09.07.2026 की स्थिति के अनुसार अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 1,37,130.13 करोड़ रुपये (पूंजीगत लागत) की 7,687 परियोजनाएं प्रदान की जा चुकी हैं तथा 66,472 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों सहित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा शहर/शहरी स्थानीय निकाय-वार स्थिति वेबसाइट https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjects/state पर उपलब्ध है।

मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भौतिक बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर मिशन की प्रगति की समीक्षा की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत 2.0 के अंतर्गत किए गए कार्यों के आकलन एवं निगरानी के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसियों (IRMA) को नियुक्त किया है, जो समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी करती हैं। आईआरएमए परियोजना-विशिष्ट टिप्पणियां उपलब्ध कराती हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य को भेजा जाता है। राज्य द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा भी तत्पश्चात आईआरएमए द्वारा की जाती है।

(ग): अमृत 2.0 के अंतर्गत निधियां शहर-वार नहीं, बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। इसके उपरांत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करते हैं। दिनांक 09.07.2026 तक गत तीन वित्तीय वर्षों (2023-24 से 2025-26) तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 17,834.22 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी/स्वीकृत किया गया है। इसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 14,497.69 करोड़ रुपये का उपयोग/व्यय किया जा चुका है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): मंत्रालय द्वारा धीमी गति से प्रगति करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन की प्रगति की आवधिक समीक्षा की जाती है। मंत्रालय समय-समय पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकारियों, ठेकेदारों आदि के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्यों द्वारा परियोजनाओं के योजना-निर्माण, डिजाइन, पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन के लिए परियोजना विकास एवं प्रबंधन परामर्शदाता (PDMC) को नियुक्त करने का भी प्रावधान है। पीडीएमसी पर होने वाला व्यय प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (ए एंड ओ ई) घटक के अंतर्गत राज्य को आवंटित कुल राशि की सीमा के भीतर केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया जाता है।

(ङ): दिनांक 09.07.2026 की स्थिति के अनुसार अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अद्यतन की गई जानकारी के अनुसार, अमृत 2.0 के अंतर्गत देश-भर के शहरी क्षेत्रों में लगभग 70.62 लाख घरेलू नल जल कनेक्शन तथा 13.22 लाख घरेलू सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/शहर-वार घरेलू नल जल कनेक्शनों एवं सीवर कनेक्शनों का विवरण https://amrut.mohua.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(च): अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण तथा कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों सहित अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा शहर/शहरी स्थानीय निकाय-वार स्थिति https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjects/state वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(छ): अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अद्यतन की गई जानकारी के अनुसार, अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित पेय जल परियोजनाओं में कुल 11,769.08 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता, 1.61 लाख किलोमीटर जलापूर्ति नेटवर्क तथा लगभग 181 लाख नए घरेलू नल जल कनेक्शनों का विकास शामिल है। सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं में कुल 7,098.27 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता, 40,021.24 किलोमीटर सीवर नेटवर्क तथा लगभग 69.41 लाख नए घरेलू सीवर कनेक्शनों का विकास शामिल है। अमृत 2.0 के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं अवसंरचना परियोजनाएं हैं, जिनसे संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को लाभ मिलता है।

(ज): मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्य स्तर पर योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) के गठन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मिशन के अंतर्गत गठित शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा एवं निगरानी करती है। साथ ही, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, कार्यशालाओं, क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से भी प्रगति की साविधिक समीक्षा एवं निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए परियोजना-वार परिणामों तथा प्रगति की निगरानी के लिए अमृत का एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है।

अमृत 2.0 प्रत्येक शहर के लिए शहर जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार करके जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इसमें शोधित प्रयुक्त जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग को भी शामिल किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं में 7,098.27 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) का विकास शामिल है, जिसमें से 1,900 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए है।

तमिलनाडु राज्य ने अमृत 2.0 के अंतर्गत 29 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 81.51 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता का विकास शामिल है, जिसमें से 32.65 एमएलडी शोधित प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग किया जाएगा।

"अमृत 2.0 के कार्यान्वयन" के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 3022 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (2023-24 से 2026-27) के दौरान (09.07.2026 तक) अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए जारी/स्वीकृत केंद्रीय अंश

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी/स्वीकृत	प्राप्त यूसी / किया गया व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.51	1.68
2	आंध्र प्रदेश	428.43	15.15
3	अरुणाचल प्रदेश	44	21.65
4	असम	298.09	243.03
5	बिहार	441.77	37.10
6	चंडीगढ़	32.38	22.38
7	छत्तीसगढ़	287.72	249.41
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	23	18.00
9	दिल्ली	227.25	129.35
10	गोवा	45.76	43.22
11	गुजरात	1681.94	1535.27
12	हरियाणा	565.14	458.88
13	हिमाचल प्रदेश	192.67	116.08
14	जम्मू और कश्मीर	250	163.73
15	झारखंड	239.92	164.92
16	कर्नाटक	1852.77	1549.72
17	केरल	271.3	209.79
18	लद्दाख	0	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	673.2	622.62
21	महाराष्ट्र	2619.48	2253.21
22	मणिपुर	36.95	14.51
23	मेघालय	77.07	75.07
24	मिजोरम	58	44.71
25	नागालैंड	56.19	46.19
26	ओडिशा	783.96	678.53
27	पुडुचेरी	106.61	92.14
28	पंजाब	205	184.26
29	राजस्थान	899.79	753.61
30	सिक्किम	22	12.62
31	तमिलनाडु	2216.05	1969.79
32	तेलंगाना	416	284.82
33	त्रिपुरा	120.69	115.41
34	उत्तर प्रदेश	1725.26	1663.67
35	उत्तराखंड	160.32	127.71
36	पश्चिम बंगाल	770	579.48
	कुल	17834.22	14497.69